

न्यायालय:- आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील चंदेरी
चन्देरी जिला-अशोकनगर म0प्र0

दांडिक प्रकरण क.-284 / 13

संस्थित दिनांक- 26.08.2013

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा
आरक्षी केन्द्र चंदेरी
जिला अशोकनगर।

.....अभियोजन

विरुद्ध

शेरसिंह पुत्र बल्देव सिंह यादव उम्र 53 साल
निवासी ग्राम मीठाखेडा तहसील चंदेरी
जिला- अशोकनगर म0प्र0

.....अभियुक्त

—: निर्णय :-

(आज दिनांक 20.06.2017 को घोषित)

- 01- अभियुक्त के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 354, 506 बी के दण्डनीय अपराध के आरोप है कि उसने दिनांक 08.04.2013 को समय शाम 07:00 बजे ग्राम मीठाखेडा में आरोपी शेरसिंह के मकान के सामने रास्ते में फरियादिया उषा, की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया एवं संत्रासित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।
- 02- अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 08.04.2013 को शाम करीब 07:00 बजे ग्राम मीठाखेडा में फरियादियां अपने पिता के खेतों पर से काम करके अपने घर के लिये आ रही थी, फरियादियां के साथ उसकी बहन केशकुमारी व भाई राहुल भी थे, शेरसिंह के मकान सामने पहुंची, तो शेरसिंह घर से निकला और फरियादिया उषा का हाथ बुरी नियत से पकड़ कर खींच कर अन्दर ले जाने लगा, फरियादिया चिल्लायी तो पीछे से केशकुमारी व राहुल आये, उन्हें देखकर शेरसिंह हाथ छोड़कर अपने मकान में घुस गया और जाते हुये बोला कि थाने में रिपोर्ट की तो जान से खत्म कर दूंगा। घटना राहुल व केशकुमारी ने देखी। शाम को फरियादिया के पिता घर पर आये तो उन्हें फरियादिया ने पूरी बात बतायी। रात में साधन न होने के कारण व डर के कारण रिपोर्ट करने के लिये नहीं आयी। फरियादियां ने घटना की रिपोर्ट दिनांक 09.04.2013 को पुलिस थाना चंदेरी में जाकर की। फरियादी की रिपोर्ट पर से अभियुक्त के विरुद्ध पुलिस थाना चंदेरी के अपराध क्रमांक-131/13 अंतर्गत धारा-354, 506 भा0द0वि0 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विवेचना की गई बाद आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

03— अभियुक्त को उसके विरुद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध को आरोप पढ कर सुनाये गये उसने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्तगण का परीक्षण अंतर्गत धारा-313 द0प्र0सं0 में कहना है कि वह निर्दोष है उसे झूठा फसाया गया है।

04— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :-

1.	क्या अभियुक्त ने दिनांक 08.04.2013 को समय शाम 07:00 बजे ग्राम मीठाखेडा में आरोपी शेरसिंह के मकान के सामने रास्ते में फरियादिया उषा, की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया ?
2.	क्या उक्त दिनांक समय व स्थान अभियुक्त के द्वारा संत्रासित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?
3	दोष सिद्धि व दोष मुक्ति ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1, 2 व 3 का विवेचन एवं निष्कर्ष:-

05— सुविधा की दृष्टि से एवं प्रकरण आई साक्षी की पुनर्वृत्ति को रोकने के लिये उपरोक्त विचारणीय प्रश्नों का विवेचन एक साथ किया जा रहा है। फरियादिया उषा बाई (अ0सा0-1) अपने न्यायालीन कथनों में यह कहना है कि चार साल पहले शाम को सात बजे वह अपने भाई और बहन के साथ पिता के खेत से आ रही थी, अभियुक्त के घर के सामने से निकल कर अपने घर की तरफ आ रही थी, तो अभियुक्त शेरसिंह अपने दरवाजे पर उसका हाथ पकड़कर घर के अंदर ले जा रहा था, जिसके बाद वह चिल्लायी तो पीछे से उसके भाई बहन आ गये थे। फरियादिया उषा बाई (अ0सा0-1) के अनुसार घटना के प्रत्यक्ष दर्शी उसकी बहन केश कुमारी (अ0सा0-2) व भाई राहुल (अ0सा0-4) हैं जिनके कथन अभियोजन में अपने समर्थन में कराये हैं। केशकुमारी (अ0सा0-2) व राहुल (अ0सा0-4) ने भी अपने न्यायालीन कथनों में व्यक्त किया है कि घटना दिनांक को वह अपनी बड़ी बहन उषा बाई (अ0सा0-1) के साथ शाम को सात बजे खेत से अपने घर जा रहे थे तो अभियुक्त ने उसके घर के सामने उनकी बहन उषा बाई (अ0सा0-1) को पकड़ लिया था।

06— अतः उषा बाई (अ0सा0-1) के द्वारा न्यायालय में दिये गये उपरोक्त कथनों की पुष्टि उसकी बहन केश कुमारी (अ0सा0-2) व राहुल (अ0सा0-4) ने भी अपने कथनों में की है। फरियादिया उषा बाई (अ0सा0-1) के द्वारा न्यायालय में बतायी गयी घटना एवं दर्ज करायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रपी 1 के विपरीत बचाव पक्ष की फरियादिया उषा बाई

(अ0सा0-1) सहित अभियोजन साक्षियों के प्रतिपरीक्षण में सुझाव के माध्यम से यह प्रतिरक्षा है कि फरियादियां द्वारा कथित घटना के दो पूर्व अभियुक्त ने फरियादिया सहित उसके परिवार के विरुद्ध थाने में रिपोर्ट की थी, जिसके कारण फरियादिया ने यह झूठा प्रकरण पंजीबद्ध कराया है।

- 07— बचाव पक्ष की ओर से उपरोक्त प्रतिरक्षा को स्थापित करने के लिये स्वयं अभियुक्त शेरसिंह (ब0सा0-1) के कथना न्यायालय में कराये है जिसमें अभियुक्त का कहना है कि ऊषा बाई (अ0सा0-1) व उसका परिवार उसका खेत छुड़ाने के चक्कर में हैं तथा उसने दो दिन पहले ही फरियादिया ऊषा बाई (अ0सा0-1) सहित उसके पिता रामचरण (अ0सा0-3) केश कुमारी (अ0सा0-2), उर्मिला, रामू व राजकुमार के विरुद्ध यह आवेदन दिया था कि वह लोग उसके द्वारा काटी गयी चने की फसल ले गये थे और इस घटना के दो दिन बाद उसे चंदेरी पुलिस पकड़ कर ले गयी थी। अभियुक्त की ओर से प्र0डी0 1 का आवेदन प्रस्तुत किया गया है जो उसके द्वारा इस घटना से दो दिन पूर्व थाने पर दिया जाना बताया है।
- 08— अभियुक्त व फरियादिया के परिवार के मध्य पूर्व से विवाद हैं, इस संबंध में स्वयं फरियादिया ऊषा बाई (अ0सा0-1) अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि अभियुक्त से उनका जमीनी विवाद चल रहा है, परन्तु इस बात का खण्डन किया है कि अभियुक्त ने घटना के दो दिन पहले उसके पिता रामचरण धीरज सिंह उर्मिला बाई व केश बाई के रिपोर्ट घटना से दिन पहले थाने पर की थी। इसी संबंध में ऊषा बाई (अ0सा0-1) की बहन केश कुमारी (अ0सा0-2) ने अपने मुख्यपरीक्षण में ही यह स्वीकार किया है कि अभियुक्त का उसके पिता से खेत को लेकर विवाद था, परन्तु इस साक्षी का कहना है कि आरोपी ने इसी कारण से घटना कारित की थी। केश कुमारी (अ0सा0-2) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका तीन में स्वयं यह स्वीकार किया है कि घटना से पहले अभियुक्त ने उसके पिता बहन भाई और मां की रिपोर्ट थाने पर की थी।
- 09— अभियोजन की ओर से प्रकरण में ऊषा बाई (अ0सा0-1) के पिता रामचरण (अ0सा0-3) के कथन न्यायालय में कराये गये जिसने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका दो में यह स्वीकार किया है कि उसने अभियुक्त के विरुद्ध एक दिवानी मुकदमा प्रस्तुत किया है तथा उसने अभियुक्त के विरुद्ध एक 302 भा0द0वि0 की रिपोर्ट थाने पर की है। अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत प्र0डी0 1 का आवेदन भले ही अभियुक्त के द्वारा विधिवत् उक्त आवेदन पर थाने से प्रप्ति देने वाले पुलिस कर्मी की साक्ष्य कराकर प्रमाणित नहीं किया गया है, परन्तु अभियुक्त के द्वारा ली गयी प्रतिरक्षा स्वयं केश कुमारी (अ0सा0-2) के द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षण में स्वीकार की गयी है, जिसमें इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि घटना से पूर्व अभियुक्त ने उसके पिता बहन भाई और मां की रिपोर्ट थाने पर की थी तथा ऊषा बाई (अ0सा0-1) व उसका पिता रामचरण (अ0सा0-3) अपने न्यायालीन कथनों में अभियुक्त से पूर्व का जमीन विवाद होना स्वयं स्वीकार करते हैं तथा

रामचरण (अ0सा0-3) स्वयं भी अभियुक्त के द्वारा पूर्व में धारा 302 भादवि की रिपोर्ट उसके विरुद्ध किया जाना बताता है।

- 10- अतः अभिलेख पर आयी साक्ष्य से यह प्रमाणित है कि अभियोजन घटना से पूर्व अभियुक्त और फरियादियां पक्ष के मध्य जमीनी विवाद था और इसी विवाद के संबंध में घटना से पूर्व अभियुक्त ने फरियादिया व उसके पिता सहित अन्य लोगों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के लिये थाने पर प्र0डी0 1 का आवेदन भी दिया था। अतः अभियुक्त और फरियादिया पक्ष के मध्य पूर्व का जमीनी विवाद होने से पूर्व की रंजिश होना स्थापित होता है। अभियुक्त को कहना है कि उसी रंजिश पर से यह झूठा प्रकरण उसके विरुद्ध पंजीबद्ध किया गया है जबकि केशकुमारी (अ0सा0-2) का अपने मुख्यपरीक्षण में ही कहना है कि उक्त कारण से अभियुक्त के द्वारा घटना कारित की गयी।
- 11- विधि द्वारा यह सुस्थापित है कि दो व्यक्तियों के मध्य पूर्व की रंजिश होना दो धारी तलवार के सामान होता है जिससे एक व्यक्ति उक्त रंजिश के चलते दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध षडयंत्र कर झूठा फंसा सकता है। वहीं दूसरी ओर उक्त रंजिश के चलते एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध वास्तविक घटना भी कारित कर सकता है अतः जहां अभिलेख फरियादी पक्ष व अभियुक्त के मध्य पूर्व की रंजिश होना स्थापित है वहां फरियादी पक्ष के द्वारा न्यायालय में दिये कथनों की सत्यता का सूक्ष्म मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है।
- 12- फरियादिया ऊषा बाई (अ0सा0-1) सहित केश कुमारी (अ0सा0-2) व राहुल (अ0सा0-4) जो कि घटना के प्रत्यक्ष साक्षी है ने अपने कथनों में अभियोजन का समर्थन करते हुये एक राय होकर अभियुक्त के विरुद्ध यह कथन दिये है कि शाम को सात बजे जब ऊषा बाई (अ0सा0-1) सहित वह लोग अपने खेत से अभियुक्त के घर के सामने से निकल कर अपने घर जा रहे थे तो अभियुक्त ने ऊषा बाई (अ0सा0-1) का हाथ पकड़ लिया था और उसे घर के अंदर ले जा रहा था, परन्तु यह उल्लेखनीय है कि घटना के संबंध में इन साक्षियों ने अपने न्यायालीन कथनों में बड़ा चड़ा कर कथन दिये है तथा आपस के उनके कथनों में कई जगह विरोधाभास की स्थिति है।
- 13- ऊषा बाई (अ0सा0-1) अपने कथनो में यह कहती है कि शेरसिंह ने उसके सीने पर हाथ रखा था तथा घटना में उसका ब्लाउज फट गया था। वही केश कुमारी (अ0सा0-2) भी अपने न्यायालीन कथनों में यह कहती है उसकी बहन का ब्लाउज फट गया था तथ अभियुक्त ने उसकी बहन को पकड़ कर उसका सीना दबा दिया था। राहुल (अ0सा0-4) ने भी अपने न्यायालीन कथनों में उसकी बहन का ब्लाउज फटने के संबंध में कथन दिये है तथा रामचरण (अ0सा0-3) का भी यह कहना है कि ऊषा बाई (अ0सा0-1) उसे यह बताया था कि उसका ब्लाउज फट गया है। यह उल्लेखनीय है कि घटना में अभियुक्त के द्वारा बल का प्रयोग फरियादी का सीना दबाया गया तथा घटना में फरियादी का ब्लाउज फट गया था ऐसी कोई घटना फरियादी ऊषा बाई (अ0सा0-1) के द्वारा प्रथम

सूचना रिपोर्ट प्र०पी० 1 में लेख नहीं करायी गयी है।

- 14— निश्चित रूप से प्रथम सूचना रिपोर्ट घटना का सूचना मात्र होता है जिसमें संपूर्ण घटना का वृत्तान्त होना आवश्यक नहीं है परन्तु घटना के बाद फरियादी सहित सभी साक्षियों ने पुलिस को भी धारा 161 के कथन दिये हैं तथा रामचरण (अ०सा०-3) के अनुसार उक्त कथन उसकी लड़कियों के द्वारा अपने स्वयं के घर पर दिये गये थे, परन्तु पुलिस को दिये गये कथनों में फरियादी सहित किसी भी साक्षी का यह कहना नहीं है कि घटना में अभियुक्त ने फरियादी का सीना दबाया था तथा घटना में फरियादी का ब्लाउज फट गया था। पुलिस के द्वारा विवेचना में ऐसा कोई फटा हुआ ब्लाउज की जप्ती नहीं की गयी अतः फरियादी ऊषा बाई (अ०सा०-1) सहित अन्य साक्षियों के इस संबंध में दिये गये कथन की घटना में अभियुक्त ने फरियादी का सीना दबाया था एवं घटना में फरियादी का ब्लाउज फट गया था, बढा-चढा कर घटना को गंभीरता प्रदान करने के संबंध में न्यायालय में दिये गये प्रतीत होते हैं जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है।
- 15— एक महिला जो घटना के चार साल बाद न्यायालय में उपस्थित होकर जब यह कह सकती है कि अभियुक्त ने उसका सीना दबाया था और उसका ब्लाउज भी फट गया था तो वह घटना के तुरन्त बाद पुलिस को अपने स्वयं के घर पर दिये गये कथनों में यह घटना बता सकती थी, जो कि पुलिस के द्वारा धारा 161 के कथनों में अवश्य लेख की जाती। अनुसंधानकर्ता अधिकारी अशोक बाबू शर्मा (अ०सा०-5) जिसके द्वारा फरियादी सहित अभियोजन साक्षियों के विवेचना के प्रक्रम पर कथन लिये हैं। उसने स्वयं अपने न्यायालीन कथनों में यह व्यक्त किया है कि घटना में फरियादी का ब्लाउज फट गया था तथा घटना में अभियुक्त ने फरियादी के सीने पर हाथ रखा था, ऐसे कोई कथन फरियादी ने उसे नहीं दिये हैं, जो निश्चित रूप से फरियादिया ऊषा बाई (अ०सा०-1) सहित केश कुमारी (अ०सा०-2) व राहुल (अ०सा०-4) के कथनों की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिह्न लगाता है।
- 16—ऊषा बाई (अ०सा०-1) का कहना है कि उसने अपने पिता के साथ घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र०पी० 1 थाने पर जाकर लेखबद्ध करायी थी। प्रकरण में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र०पी० 1 के अनुसार जब अभियुक्त ने उसका हाथ पकड़ा था, तो वह चिल्लायी थी, तो उसके भाई बहन के आने पर अभियुक्त ने उसका हाथ छोड़ दिया था और घर में घुस गया था। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट से स्पष्ट है कि अभियुक्त ने मात्र फरियादी का हाथ पकड़ा था और फरियादी के चिल्लाने पर केश कुमारी (अ०सा०-2) व राहुल (अ०सा०-4) के आ जाने पर अभियुक्त अपने घर में घुस गया था, परन्तु यह उल्लेखनीय है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार ही ऊषा बाई (अ०सा०-1) के साथ ही केश कुमारी (अ०सा०-2) व राहुल (अ०सा०-4) खेत से आ रहे थे, तो अभियुक्त ने जब ऊषा बाई (अ०सा०-1) का हाथ पकड़ा था तो केश कुमारी (अ०सा०-2) व राहुल (अ०सा०-4) अभियुक्त के सामने ही होंगे। अतः ऐसे में अभियुक्त को उन्हें देखकर भागना ही था, तो वह उनके सामने ऊषा बाई (अ०सा०-1) का हाथ ही क्यों पकड़ता।

- 17- ऊषा बाई (अ0सा0-1) ने अपने न्यायालीन कथनों में उक्त स्थिति स्पष्ट करते हुये यह कथन अवश्य दिये है कि घटना के समय खेत से उसके भाई बहन उसके साथ ही आ रहे थे, परन्तु वह थोड़े पीछे थे और उसके चिल्लाने पर उसके भाई बहन पीछे से आ गये थे। ऊषा बाई (अ0सा0-1) का अपने प्रतिपरीक्षण में यह कहना है कि उसके भाई बहन उससे 20-25 फीट दूरी पर थे। अतः ऊषा बाई (अ0सा0-1) के अनुसार वह अभियुक्त शेरसिंह के घर के सामने जब निकली और शेरसिंह ने जब उसका हाथ पकड़ा तो वह अकेली थी तथा उसके भाई बहन पीछे थे, जो की 20-25 फीट की दूरी पर थे। ऊषा बाई (अ0सा0-1) के उपरोक्त कथनों के विपरीत केश कुमारी (अ0सा0-2) के अनुसार आरोपी ने उनके सामने उसकी बहन का सीना दबाया था और यह घटना उसने दो चार कदम दूरी पर खड़ी होकर देखी थी तथा उसका भाई और वह चिल्लाने लगे थे। अतः केश कुमारी (अ0सा0-2) के अनुसार अभियुक्त के द्वारा उसकी बहन ऊषा बाई को पकड़ने की घटना उसके सामने कारित की गयी थीं यदि अभियुक्त के द्वारा केश कुमारी (अ0सा0-2) के सामने ऊषा बाई (अ0सा0-1) को पकड़ा गया तो उनके आने पर अभियुक्त भागने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।
- 18- राहुल (अ0सा0-4) कथनों को और बढा-चढा कर घटना के समय अभियुक्त को दारु पीकर घटना कारित करना बताता है। इस साक्षी का कही भी यह कहना नहीं है कि वह और केश कुमारी (अ0सा0-2) दोनों साथ में ऊषा बाई (अ0सा0-1) से पीछे थे तथा ऊषा बाई (अ0सा0-1) की आवाज सुनकर वह दोनों एक साथ घटना स्थल पर पहुचे थे राहुल (अ0सा0-4) का ऊषा बाई (अ0सा0-1) के कथनों के विपरीत यह कहना है कि ऊषा बाई (अ0सा0-1) व केश कुमारी (अ0सा0-2) दोनों साथ में जा रही थी और वह उनके थोड़ा पीछे था। इस साक्षी का अपने प्रतिपरीक्षण में कहना है कि उसकी बहनों और उसके बीच दो पांच मिनिट का फसला था तथा वह दो मिनिट बाद ही मौके पर पहुच गया था। इस साक्षी के अनुसार फरियादी ऊषा बाई (अ0सा0-1) जब अभियुक्त के घर के सामने से निकल रही थी तो वह अकेली नहीं थी उसके साथ केश कुमारी (अ0सा0-2) थी जो कि केश कुमारी (अ0सा0-2) भी अपने कथनों में कहती है तथा वह स्वयं मात्र कुछ ही दूरी पर था। अतः यदि केश कुमारी (अ0सा0-2), ऊषा बाई (अ0सा0-1) के साथ थी, तो निश्चित रूप से अभियुक्त के द्वारा जबकि दोनों पक्षों के मध्य पूर्व की रंजिश होना स्थापित है, केश कुमारी (अ0सा0-2) के सामने ही उसकी बहन ऊषा बाई (अ0सा0-2) का हाथ लज्जा भंग करने के आशय से क्यों पकड़ेगा। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार केश कुमारी (अ0सा0-2) व राहुल (अ0सा0-4) के आने पर अभियुक्त अपने घर में घुस गया था। यदि अभियुक्त को इतना डर था तो वह केश कुमारी (अ0सा0-2) के सामने ऐसी घटना कारित ही क्यों करेगा ?
- 19- यहां यह उल्लेखनीय है कि झगडे के दौरान किसी महिला का हाथ पकड़ना तथा लज्जा भंग करने के आशय से किसी महिला का हाथ पकड़ना दोनों ही स्थितियां अलग अलग है। क्योंकि धारा 354 भादवि के अपराध में अभियुक्त का आशय महत्वपूर्ण होता है। धारा 354 भादवि के अपराध का सार अभियुक्त का पीडित महिला की लज्जा भंग करने का

आशय या जानकारी है, न कि स्त्री की स्वयं की लज्जा की अनुभूति, आशय तथा जानकारी वस्तुतः मस्तिष्क की स्थितियां स्वरूप विद्यमान हैं। उनको सीधे साक्ष्य से सिद्ध नहीं किया जा सकता है। आशय और जानकारी का होना प्रत्येक मामले में तथ्य एवं परिस्थितियों से ही एकत्रित किया जा सकता है और इसके लिये परख एक युक्तियुक्त व्यक्ति की यह अनुभूति होगी कि क्या मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्त का आशय या जानकारी लज्जा भंग करने या होने की थी अथवा नहीं।

- 20— वर्तमान प्रकरण में फरियादी पक्ष व अभियुक्त के मध्य पूर्व का जमीनी विवाद होना स्थापित है। घटना से पहले अभियुक्त ने फरियादी व उसके पिता सहित अन्य लोगों के विरुद्ध थाने पर कार्यवाही करने हेतु एक आवेदन भी दिया था, यह भी अभिलेख पर आयी साक्ष्य से प्रमाणित है। घटना स्थल बीच गांव का है तथा फरियादी का मकान भी घटना स्थल से पास में ही है, जैसा की राहुल (अ0सा0-4) ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है। अतः ऐसे में एक व्यक्ति जिसके पहले से ही फरियादी पक्ष से इतने विवाद चल रहे हो वह काम पिपासा के आशय से उसी महिला का हाथ वह भी उसके भाई बहनों के सामने बीच गांव में क्यों पकड़ेगा जबकि उसके विरुद्ध दो दिन पहले ही थाने पर कार्यवाही करने हेतु आवेदन देकर आया हो, इस बात पर विश्वास करना किसी भी सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति के लिये कठिन है।
- 21— धारा 354, 376 भादवि सहित काम पिपासा के आशय से किये गये महिलाओं के प्रति अपराध ऐसी सावधानी बरतते हुये, किये जाते है कि किसी दूसरे व्यक्ति को उक्त कृत्य की जानकारी न हो तथा यदि उक्त कृत्य किया भी जाता है तो उसके बाद उस कृत्य के परिणाम से बचने का प्रयास भी अभियुक्त करता है। वर्तमान प्रकरण में जहां ऊषा बाई (अ0सा0-1) की लज्जा भंग करने के आशय से अभियुक्त के द्वारा उसका हाथ पकड़ने की घटना उसके भाई बहनों के समक्ष किये जाने से जहां विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती है वही पूर्व की रंजिश इसको और बल प्रदान करती है।
- 22— फरियादियां ऊषा बाई (अ0सा0-1) का अपने कथनों में कहना है कि अभियुक्त की उसके साथ झूमाझटकी हुयी थी तथा अभियुक्त उसे छत पर चढ़ कर गालियां भी दे रहा था। फरियादियां के अपने प्रतिपरीक्षण में स्वयं यह कहना है कि अभियुक्त से उसका झगडा हुआ था, जो 5-10 मिनट चला था तथा झूमाझटकी में हाथ में खरोंच आ गयी थी। फरियादिया का अपनी प्रतिपरीक्षण की कण्डिका सात में भी यह कहना है कि वह जब भी निकलती तो अभियुक्त उसे गालियां देता था तथा अभियुक्त ने उसे कई बार गालियां दी है। केश कुमारी (अ0सा0-2) भी अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका तीन में यह स्वीकार करती है कि उसकी बहन और अभियुक्त के बीच 15 मिनट के लगभग झगडा चला था तथा इस साक्षी के अनुसार उसकी बहन और छोटे भाई के बीच में चार पांच कदम का अंतर था, जिससे स्पष्ट है कि फरियादियां और अभियुक्त के बीच जो भी विवाद हुआ वो उसकी उपस्थिति में हुआ। फरियादी ऊषा बाई (अ0सा0-1) व कुशकुमारी (अ0सा0-2) के द्वारा दिये गये उपरोक्त कथन स्वतः ही यह दर्शित करते हैं कि मौके पर यदि अभियुक्त

का फरियादी से कोई विवाद हुआ है तो वह मात्र पूर्व की रंजिश पर से विवाद हुआ है तथा मौके पर गाली-गलौच व झूमाझटकी होना बताना स्वतः ही अभियुक्त के द्वारा फरियादी की लज्जा भंग करने का आशय एवं उक्त जानकारी का अभाव दर्शित करता है।

- 23— फरियादी तथा अभियुक्त के मध्य पूर्व की रंजिश होने से स्वयं फरियादी ऊषा बाई (अ0सा0-1) व कृश कुमारी (अ0सा0-2) एवं राहुल (अ0सा0-4) के कथन कई जगह पर बड़ा चढ़ा कर दिये गये हैं। ऊषा बाई (अ0सा0-1) के द्वारा दर्ज करायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त ने जब उसका लज्जा भंग करने के आशय से हाथ पकड़ा था, तो उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर उसके भाई राहुल (अ0सा0-4) व बहन केश कुमारी (अ0सा0-2) के आने पर अभियुक्त अपने घर में घुस गया था, परन्तु न्यायालय में दिये गये कथनों में ऊषा बाई (अ0सा0-1) ने उपरोक्त घटना के संबंध में अभियोजन कहानी के विरुद्ध कथन दिये हैं तथा फरियादी का कही यह कहना नहीं है कि उसके भाई बहनों के आने पर अभियुक्त उसे छोड़ कर अपने घर में घुस गया था, बल्कि फरियादी का अपने न्यायालीन कथनों में बड़ा-चढ़ा कर यह कहना है कि अभियुक्त से उसकी झूमाझटकी हो गयी थी, पांच दस मिनट झगड़ा चला था और उस झगड़े में अभियुक्त ने उसे गालियां दी थी तथा उसका ब्लाउज फट गया था और अभियुक्त ने उसके सीने पर भी हाथ रखा था। अतः फरियादी के द्वारा दर्ज करायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं न्यायालय में बतायी गयी घटना में विरोधाभास देखा जा सकता है और पूर्व की रंजिश होने से उक्त विरोधाभास तात्त्विक स्वरूप का है जो कि फरियादी ऊषा बाई (अ0सा0-1) के कथनों की विश्वसनीयता को ही संदेह के घेरे में ले आता है।
- 24— केश कुमारी (अ0सा0-2) का भी अपने न्यायालीन कथनों में अभियोजन कहानी के समर्थन में कही भी यह कहना नहीं है कि अभियुक्त ने ऊषा बाई (अ0सा0-1) का हाथ उसकी अनुपस्थिति में पकड़ा था, तथा उसके आने के बाद अभियुक्त ऊषा बाई (अ0सा0-1) को छोड़कर घर में घुस गया था। ऊषा बाई (अ0सा0-1) के सामान ही केश कुमारी असा 2 भी घटना में अभियुक्त का फरियादी ऊषा बाई (अ0सा0-1) के साथ 15 मिनट झगड़ा होना बताती है और उक्त झगड़ा अपनी व राहुल (अ0सा0-4) उपस्थिति में ही दो-चार कदम की दूरी से देखना बताती है, जबकि अभियोजन कहानी के अनुसार अभियुक्त ने मात्र फरियादियों का हाथ पकड़ा था और केश कुमारी (अ0सा0-2) व राहुल (अ0सा0-4) के आने पर वह अपने घर में घुस गया था, परन्तु केश कुमारी (अ0सा0-2) भी विरोधाभासी कथन देते हुये फरियादी के सामान ही घटना में अपनी बहन का ब्लाउज फटना और अभियुक्त के द्वारा उसका सीना दबाना व अपनी व अपने भाई की उपस्थिति में 15 मिनट अभियुक्त और फरियादी का झगड़ा होना बताती है, जबकि पुलिस को दिये गये कथनों में ऐसी कोई घटना केश कुमारी (अ0सा0-2) के द्वारा भी लेख नहीं करायी गयी। जिससे घटना के संबंध में केश कुमारी (अ0सा0-2) के द्वारा दिये गये कथन विश्वसनीय प्रकट नहीं होते हैं।

- 25— यदि घटना के समय केश कुमारी और राहुल (अ0सा0-4) एक साथ थे और दोनों ने एक साथ ही घटना देखी थी तो फरियादी सहित इन सभी के कथनों में एकरूपता होनी चाहिए, परन्तु राहुल (अ0सा0-4) फरियादी ऊषा बाई (अ0सा0-1) व केश कुमारी (अ0सा0-2) के कथनों से विपरीत एक अलग ही घटना बताते हुये मोके पर अभियुक्त को शराब के नशे में होना बताता है तथा इस साक्षी का यह कहना नहीं है कि अभियुक्त ने उसे देखकर उसकी बहन का हाथ छोड़कर घर में घुस गया था, बल्कि इस साक्षी का कहना है कि अभियुक्त उसकी बहन का हाथ खींचकर घर में ले जा रहा था और बहन चिल्लाने लगी तो अभियुक्त ने हाथ छोड़ दिया जिसके बाद उसकी बहन स्वयं ही घर से बाहर आ गयी अर्थात् इस साक्षी के अनुसार अभियुक्त उसकी बहन को घर के अंदर ले गया था और बहन के चिल्लाने पर उसकी बहन को अभियुक्त ने छोड़ा जिसके बाद उसकी बहन घर से निकल कर बाहर आ गयी, जबकि अभियोजन कहानी के अनुसार ऐसी कोई घटना ही नहीं हुयी।
- 26— फरियादी ऊषा बाई (अ0सा0-1), केश कुमारी (अ0सा0-2) का कहना है कि अभियुक्त अपनी घर की छत पर चढ़ कर गालियां दे रहा था, यदि ऐसी कोई घटना होती तो राहुल (अ0सा0-4) भी इसी सामान न्यायालय में कथन देता, परन्तु राहुल (अ0सा0-4) अपने प्रतिपरीक्षण में ऊषा बाई (अ0सा0-1), केश कुमारी (अ0सा0-2) के कथनों के विपरीत यह कहता है कि जब वह लोग मौके पर थे तो अभियुक्त ने कोई बात नहीं की, न ही धमकी दी तथा उनके घर में आने के बाद अभियुक्त ने छत पर चढ़ कर गालिया दी थी। अतः राहुल (अ0सा0-4) के अनुसार अभियुक्त ने उसके सामने अपने घर की छत पर चढ़ कर कोई गालियां नहीं दी जबकि अभियोजन कहानी के अनुसार राहुल (अ0सा0-4) व केश कुमारी (अ0सा0-2) के घटना स्थल पर पहुंचने के बाद अभियुक्त ने अपने घर पर चढ़कर गालिया दी थी। अतः राहुल (अ0सा0-4) के द्वारा दिये गये उपरोक्त कथनों एवं फरियादी उषा बाई (अ0सा0-1) व केश कुमारी (अ0सा0-2) के कथनों में स्पष्ट विरोधाभास देखा जा सकता है।
- 27— ऊषा बाई (अ0सा0-1) व केश कुमारी (अ0सा0-2) व राहुल (अ0सा0-4) घटना के प्रत्यक्ष दर्शी साक्षी है वही रामचरण (अ0सा0-3) घटना का अनुश्रुत साक्षी है। इन साक्षियों के कथनों से उपरोक्त विवेचना से उनके व अभियुक्त के मध्य पूर्व की रंजिश होना स्थापित है तथा अभियुक्त के द्वारा इस अभियोजन घटना के दो दिन पूर्व उनके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के संबंध में अभियुक्त के द्वारा थाने पर आवेदन प्र0डी0 1 दिया जाना भी प्रमाणित है। अतः ऐसे में एक व्यक्ति जो कि फरियादी सहित उसके परिवारों के विरुद्ध थाने पर उसकी फसल ले जाने के संबंध में कार्यवाही करने की मांग कर रहा हो वही व्यक्ति लज्जा भंग करने के आशय से फरियादी का उसके भाई बहनों के सामने बीच गांव में हाथ पकड़ेगा इसका कोई सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति विश्वास नहीं कर सकता है।
- 28— फरियादी ऊषा बाई (अ0सा0-1) व केश कुमारी (अ0सा0-2) एवं राहुल (अ0सा0-4) के स्वयं के कथनों में बड़ा चढ़ा कर दिये गये कथन एवं उत्पन्न हुये विरोधाभास से घटना

के संबंध में इन साक्षियों के कथन विश्वसनीय प्रकट नहीं होते हैं। ऊषा बाई (अ0सा0-1) व केश कुमारी (अ0सा0-2) के संपूर्ण न्यायालीन कथन का मूल्यांकन करने से कोई भी सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति इस निष्कर्ष पहुंच सकता है यदि वास्तव में घटना दिनांक को अभियुक्त व फरियादी के मध्य कोई घटना हुयी भी है तो उस घटना में अभियुक्त का आशय किसी भी दृष्टि से लज्जा भंग करने का या उसकी जानकारी होने का नहीं रहा है, बल्कि यदि कोई घटना हुयी भी है तो वह फरियादी ऊषा बाई (अ0सा0-1) व केश कुमारी (अ0सा0-2) के कथनों से पूर्व की रंजिश पर से हुयी कहा सुनी है, जिसको स्त्री की लज्जा भंग करने की घटना के रूप में प्रस्तुत किया गया।

- 29- प्रकरण में दर्ज करायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट भी विलंब से की गयी हैं तथा प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट देरी लेखबद्ध कराने का जो कारण साक्षियों के द्वारा बताया गया है वो संतोषप्रद न होकर विरोधाभासी भी है। फरियादी के द्वारा दर्ज करायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार घटना शाम सात बजे की है और शाम को उसके पिता के घर पर आने के बाद फरियादी के द्वारा उक्त घटना अपने पिता को बतायी गयी। यदि शाम को ही पिता को घटना की जानकारी हो गयी थी तो भले ही रात्रि में साधन उपलब्ध न भी हो तब भी वह घटना के दूसरे दिन प्रातः यदि पैदल भी 15 किलोमीटर दूर थाने पर जाता तो वह प्रातः काल में ही घटना की रिपोर्ट दर्ज करा सकता था परन्तु घटना की रिपोर्ट घटना के दूसरे दिन दोपहर तीन बजे दर्ज करायी गयी जो कि विलंब से करायी गयी।
- 30- घटना की जानकारी पिता रामचरण (अ0सा0-3) को कब दी गयी इस संबंध में ही फरियादी सहित साक्षियों के कथनों में विरोधाभास की स्थिति है। फरियादी ऊषा बाई (अ0सा0-1) के जिसके द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी और यह लेख कराया गया कि घटना की जानकारी उसने शाम को ही अपने पिता के घर पर आने पर दे दी थी, वह अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 6 में यह कहती है कि उसके पिता घर पर नहीं थी और सुबह खेत पर से आये थे। फरियादी पुनः फिर अपने कथनो से पलटते हुये पिता को शाम को खाना खाने आना बताती है, परन्तु इसका कहना है कि उसने शाम को पिता को घटना नहीं बतायी थी। केश कुमारी (अ0सा0-2) व राहुल (अ0सा0-4) भी घटना की जानकारी पिता को दूसरे दिन दिया जाना बताती है। वही रामचरण (अ0सा0-3) भी दूसरे दिन घटना की जानकारी होना बताता है, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार घटना की जानकारी घटना दिनांक को ही रामचरण (अ0सा0-4) को प्राप्त हो गयी थी। अतः साक्षियों के कथनों में इस संबंध में विरोधाभास देखा जा सकता है कि घटना की जानकारी रामचरण (अ0सा0-4) को कब प्राप्त हुयी।
- 31- प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0 1 देरी से लेखबद्ध कराने का कारण साधनों की कमी एवं डर का होना लेख कराया गया है परन्तु फरियादी ऊषा बाई (अ0सा0-1) सहित अन्य साक्षियों के कथनो से ऐसा कही भी दर्शित नहीं होता है कि अभियुक्त के द्वारा ऐसा कोई कृत्य किया गया जो कि फरियादी व उसके परिवार जन को घटना की रिपोर्ट लेख कराने में

प्रवरित करते हो। एक व्यक्ति जो छोटे भाई बहनों को घटना स्थल पर देख कर अपने घर में छुपकर छत पर चढ़ जाये, उससे फरियादी व उसके परिवार वालों को रिपोर्ट करने जाने में डर होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। फरियादी ऊषा बाई (अ0सा0-1) ने स्वयं संबंध में न्यायालय में कोई कथन नहीं दिये कि अभियुक्त ने उसे किसी भी प्रकार से कोई धमकी दी थी, वही राहुल (अ0सा0-4) का यह कहना है कि अभियुक्त ने उसके सामने कोई धमकी नहीं दी।

32— केश कुमारी (अ0सा0-2) का हालांकि अपने कथनों में कहना है कि अभियुक्त ने छत पर चढ़ कर कहा था कि रिपोर्ट करने जाओगे तो कटटे से खत्म कर दूंगा, परन्तु ऐसे कोई कथन इस साक्षी ने पुलिस को नहीं दिये हैं। यदि वास्तव में अभियुक्त से किसी प्रकार कोई डर फरियादी पक्ष को होता तो निश्चित रूप से स्वयं फरियादी इस संबंध में कथन अवश्य देते, परन्तु अभियुक्त द्वारा कोई धमकी दी गयी या उस धमकी के कारण फरियादी ने घटना की रिपोर्ट विलंब से लेख करायी इस पर विश्वास करने का कोई आधार अभिलेख पर नहीं है। अतः अभिलेख पर आयी साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं होता है कि घटना दिनांक को अभियुक्त ने फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी दी थी।

33— यदि फरियादी के पिता के शाम को घर आने के बाद भी उसे घटना की जानकारी हो गयी थी, तो फरियादी ऊषा बाई (अ0सा0-1) व रामचरण (अ0सा0-3) व केश कुमारी (अ0सा0-2) व राहुल (अ0सा0-4) के द्वारा जानबूझकर इस बात से अपने कथनों में इन्कार करना यह दर्शित करता है कि रिपोर्ट करने में हुये विलंब को आधार देने के लिये साक्षियों के द्वारा इस बात से इन्कार किया गया है कि रामचरण (अ0सा0-3) को घटना दिनांक को ही घटना की जानकारी हो गयी थी। अतः प्रकरण में विलंब से हुयी प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं उक्त विलंब का कोई युक्तियुक्त कारण न होना भी अभियोजन के लिये घातक साबित है।

34— अभिलेख पर आयी साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि घटना के संबंध में उषा ऊषा बाई (अ0सा0-1) केश कुमारी (अ0सा0-2) व राहुल (अ0सा0-4) के द्वारा न्यायालय में दिये कथन विश्वसनीय नहीं है। दोनों पक्षों के मध्य पूर्व की रंजिश है, जिससे यह संभव है कि घटना दिनांक को अभियुक्त और फरियारी के मध्य कहा सुनी हुयी हो। अभियुक्त का आशय फरियादी की लज्जा भंग का था, या अभियुक्त को इस बात की जानकारी थी, कि उसके कृत्य से फरियादी की लज्जा भंग होगी एवं अभियुक्त के द्वारा ऐसा कोई कृत्य फरियादी के साथ किया गया इस पर विश्वास करने का कोई विश्वसनीय आधार अभिलेख पर नहीं है। यह प्रकरण की परिस्थिति दोनों पक्षों के मध्य के संबंध एवं अभिलेख पर फरियादी सहित साक्षियों के द्वारा बड़ा चढ़ा कर एवं विरोधाभासी कथनों से को देखते हुये अभियोजन घटना विश्वसनीय प्रकट नहीं होती है, जिसका लाभ निश्चित रूप से अभियुक्त को प्राप्त होता है।

- 35— फलस्वरूप अभिलेख आयी साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियोजन यह युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल नहीं हुआ है कि अभियुक्त ने दिनांक 08.04.2013 को समय शाम 07:00 बजे ग्राम मीठाखेडा में आरोपी शेरसिंह के मकान के सामने रास्ते में फरियादिया उषा, की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया एवं फरियादी को संत्रासित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभिघात कारित किया।
- 36 फलस्वरूप अभियुक्त शेरसिंह पुत्र बल्देव सिंह के विरुद्ध भा0दं0वि0 की धारा-354, 506बी. के आरोप साबित नहीं होते हैं। उपरोक्त आधार पर अभियुक्त शेरसिंह पुत्र बल्देव सिंह को भा0दं0वि0 की धारा- 354, 506बी के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोष मुक्त घोषित किया जाता है।
- 37— अभियुक्त शेरसिंह पुत्र बल्देव सिंह के उपस्थिति संबंधी जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। अभियुक्त का धारा-428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र तैयार कर संलग्न किया जावे। प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति कुछ नहीं है।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(आसिफ अहमद अब्बासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)